इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक19.03.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अतिरिक्त दहेज की मांग करने वाले कुल 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष, 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 14,000-14,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते कुल 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 01अभियुक्त को 10 वर्ष, 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 14,000-14,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 05.03.2016 को वादी मोहित कुमार पुत्र लालता प्रसाद निवासी शेखूपुर अजीतमल औरैया द्वारा थाना कोतवाली पर विपक्षियों द्वारा वादी की बहन के साथ अतिरिक्त दहेज की मांग करने एवं मांग पूरी न होने पर वादी की बहन के साथ मारपीट कर आग लगा कर जला देना जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध में तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 525/16 धारा 498A/304B भादवि व 3/4DP ACT** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवराज सिंह यादव द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों प्रेम चन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी, भुवनेश कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र एवं आशू उर्फ मुंगेश पुत्र प्रेम चन्द्र निवासी मोहल्ला कटरा बलसिंह न्यू बस स्टैण्ड थाना कोतवाली जनपद इटावा के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना कोतवाली पुलिस टीम, पैरोकार का0 रोहित सिंह एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री तरुण कुमार शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोगों से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 19.03.2024 को अन्तर्गत धारा 498A/304B भादवि व 3/4DP ACT में मा0 न्यायालय ADJ/FTCI जनपद इटावा द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष, 02 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 14,000-14,000-/ रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **प्रेम चन्द्र पुत्र बाबूराम निवासी मोहल्ला कटरा बलसिंह न्यू बस स्टैण्ड थाना कोतवाली जनपद इटावा।**
2. **भुवनेश कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी मोहल्ला न्यू बस स्टैण्ड थाना कोतवाली जनपद इटावा।**
3. **आशू उर्फ मुंगेश पुत्र प्रेम चन्द्र निवासी मोहल्ला न्यू बस स्टैण्ड थाना कोतवाली जनपद इटावा।**